आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सर्वे अपील 302 / 1993** **नागेन्द्र महतो बनाम् चम्पा देवी** प्रश्नगत् अपील आवेदन प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त द्वारा वाद संख्या–395 / 1989 (कांके) में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–सुकुरहुट्टू, खाता नम्बर–389, प्लॉट नम्बर–968 के 60 डिसमिल भूमि के सर्वे इन्द्राज का विषय सन्निहित है। उभयपक्षों को सुना गया तथा उभयपक्षों की तरफ से दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। आवेदकों की तरफ से वर्ष–1967 के बाद निर्गत लगान रसीद प्रस्तुत की गयी है तथा विपक्षी की तरफ से लिखित बहस के साथ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि उनके द्वारा जमीन्दार से कबूलियत पट्टा के माध्यम से दिनांक–27.12.1955 को प्राप्त किया गया था तथा उक्त समय से ही पंजी–2 में उनका नाम दर्ज हुआ एवं लगान का भुगतान भी कर रहे है, जबकि प्रतिवादी का दावा है कि प्रश्नगत् जमीन कभी भी इस्तीफा एवं कबूलियत नहीं की गयी तथा उक्त भूमि उनके द्वारा महाराजा से क्रय की गयी है तथा लगातार लगान का भुगतान भी किया जा रहा है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उभयपक्षों को तर्कों पर राजस्व न्यायालय द्वारा विचार किये जाने को उचित नहीं माना गया एवं धारा–83 के तहत् पारित आदेश को कायम रखा गया। उभयपक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा–83 के अन्तर्गत आवेदकों के तरफ से दायर आपत्ति आवेदन को लगान–रसीद नहीं देने एवं जमीन्दारी रिटर्न में कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसी आदेश को सम्पुष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि आर0 एस0 खाता–389 में रामू दास गोसाईं का नाम अंकित है तथा पंजी–2 में भी यही इन्द्राज है। प्रश्नगत् भूमि	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	के लगान निर्धारण हेतु आवेदकों के द्वारा एक वाद दायर किया गया था। उक्त वाद में अंचल अधिकारी के समक्ष अपने–आवेदन में आवेदकों के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष–1977–78 से रसीद कटाने में असमर्थ रहे, अतः उनके नाम से रसीद निर्गत की जाये। यह आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष विविध वाद संख्या–10/87–88 में दायर किया गया था। उक्त वाद में सभी तथ्यों को समीक्षा के पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता लगान निर्धारण के दावे को अस्वीकृत किया गया, साथ ही प्रश्नगत् भूमि पर आवेदक के पिता महेन्द्र महतो के नाम से पंजी–2 में बिना किसी आदेश के इन्द्राज का भी तथ्य स्पष्ट हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि पर जमाबंदी विपक्षियों के नाम से है तथा नियमित रसीद भी विपक्षियों के नाम से ही निर्गत हो रही है। सर्वे के सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान विपक्षी के दखल को देखते हुये उनके नाम से बण्डा पर्चा निर्गत किया गया है। विवादित भूमि का इस्तीफा एवं कबूलियत के पश्चात् जमाबंदी सृजन एवं लगान निर्धारण की कार्रवाई भी उक्त समय नहीं की गयी, जबकि प्रश्नगत् भूमि की जमाबन्दी विपक्षियों की नाम से पूर्व से संधारित है। ऐसे स्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। यह विषय भूमि के स्वत्व एवं अधिकार निर्धारण से संबंधित है, जिसके लिये आवेदन सक्षम व्यवहार न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते है। लेखापित एवं संशोधित 4/7/12 प्रमण्डलीय आयुक्त 4/7/12 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 13:49:48 +05:30
Location: 10.93.72.187